न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 226/2025 दायर दिनांक: 09.10.2025

उनवान

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील सुनेल जिला झालावाड

प्रार्थी

बनाम

1. भेरूलाल पिता घीसालाल जाति दांगी नि. सलोतिया तहसील सुनेल

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :—

प्रार्थी : — पैरोकार सरकार
अभिभाषक अप्राथी सं. 1 :— श्री सुभाष दांगी

आदेश दिनांक : 11..12.2025

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम सलोतिया तहसील सुनेल जिला झालावाड की आराजी खसरा नं. 853/168 रकबा 0.0126 है. गैर मुमकिन चाह प्रतिवादी के ख़ाते दर्ज है जिसे आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। नवीनतम नकल जमाबन्दी संलग्न है। यह कि मुताबिक राजस्व रेकार्ड खसरा नं. 853/168 रकबा 0.0126 हेक्टर किस्म गै.मु. चाह दर्ज है। यह कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी वादग्रस्त आराजी को सिचाई प्रयोजनार्थ राजस्थान भू राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुयें खोदने एंव पम्प लगाने के लिये भूमि आंवटन) नियम 1979 के नियम 12 (क) नियमितिकरण के अनुसार गे.मु. भूमि में बनाये गये चाह का राजस्व शिविर के दौरान श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महो. पिडावा द्वारा आदेश दिनांक 08.12.2004 द्वारा किया गया है। यह कि उक्त नियमन आदेश में प्रतिवादी को गैर खातेदार दर्ज करने के आदेश होने से बाद चाह नियमन नामान्तरण संख्या 432 दिनांक 14.03.2005 को प्रतिवादी को गैर खातेदार दर्ज किया गया। नकल नामान्तरण संलग्न है। बिन्दु संख्या 3 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:39:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

वर्णित नियमों के प्रावधानों में गैर खातेदार दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है। कुएं के नियमन के पश्चात मात्र लीज रेन्ट जमा कराने की शर्त पर लीजधारक दर्ज किया जाना था। यह कि प्रतिवादी द्वारा 10 वर्षों के पश्चात लीज को रिन्यूवल नहीं कराया गया व ना ही नियमित रूप से लीज रेन्ट जमा कराया गया है, न ही लीज रेन्ट की आंक कायनी की गई है। अतः उक्त नियमितिकरण के गलत आदेश व पालना से प्रतिवादीगण को गैर खातेदार दर्ज किया गया जो कि विधिविरुद्ध होने से गैर खातेदार के स्थान पर लीज धारक के रूप में दर्ज करने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से दिनांक 10.12.2025 को अभिभाषक श्री सुभाष दांगी ने उपस्थित होकर वादग्रस्त आराजी में दर्ज गैर खातेदार के स्थान पर लीजधारक दर्ज करने एवं लीजरेन्ट जमा करवाने हेतु सहमति देकर इन्ही तथ्यों को बहस मानने का निवेदन किया।

3. प्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में पटवारी हल्का सलोतिया की रिपोर्ट, ग्राम सलोतिया की सं. 2078–2080 की खसरा गिरदावरी, ग्राम सलोतिया का नामा.सं. 432 दिनांक 14.03.2005, जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 308, श्रीमान उपखण्ड अधिकारी पिडावा का आदेश दिनांक 08.12.2004 छायाप्रति पेश की एवं अप्रार्थी की ओर से रसीद सं. 0019, 0022 छायाप्रति पेश की।

4. प्रार्थी पैराकार सरकार एवं अभिभाषक अप्रार्थी की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सलोतिया के खाता सं. 308 के ख.नं. 853/168 रकबा 0.0126 गे.मु. चाह अप्रार्थी भैरुलाल पिता [illegible] जाति दांगी नि. सलोतिया गैर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है, जो कि [illegible] है। अप्रार्थी को उक्त वादग्रस्त आराजी सिचाई प्रयोजनार्थ राजस्थान भू राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुयें खादने एंव पम्प लगाने के लिये भूमि आंवटन) नियम 1979 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:39:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

नियम 12 (क) के अधीन सिवायचक भूमि में अतिक्रमण कर बनाये गये अवैध कुएं को नियमितिकरण कर प्रति वर्ष 24/— की लीज रेन्ट जमा कराने की शर्त पर लीज पर दी गई थी परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा 10 वर्षों के पश्चात ना तो उक्त लीज दिनांक 08.12.2004 को रिन्यूवल नहीं कराया गया व ना ही नियमित रूप से लीज रेन्ट जमा कराई है। अतः उक्त नियमितिकरण के गलत आदेश व पालना से प्रतिवादी को लीजधारक दर्ज करने की बजाय गैर खातेदार दर्ज किया गया जो कि विधिविरुद्ध होने से गैर खातेदार के स्थान पर लीज धारक के रूप में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

5. पैरोकार सरकार ने आगे तर्क किया कि अप्रार्थी सं. 1 ने दिनांक 10.12.2025 की आदेशिका में गैर खातेदार के स्थान पर लीजधारक दर्ज करने एवं लीजरेंट की राशि की जमा करवाने हेतु सहमति प्रदान की है।

6. पैराकार सरकार एवं अभिभाषक अप्रार्थी की सहमति बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा पेश ग्राम सलोतिया के खाता सं. 308 के ख.नं. 853/168 रकबा 0.0126 गे.मु. चाह अप्रार्थी भेरूलाल पिता घीसालाल जाति दांगी नि. सलोतिया गैर खातेदार में दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार द्वारा पेश ग्राम सलोतिया के नामा.सं. 432 दिनांक 14.03.2005 के अवलोकन से जाहिर है कि नामान्तरण पंजिका के पैरा सं. 14 व 16 में *"आदेश श्रीमान उपखण्ड अधिकारी पिडावा प्रशासन गांव के संग अभियान दिनांक 08.12.2004 से खातेदार भेरूलाल पि. घीसालाल के ख.नं. 168 में से 0—01 गे.मु. चाह नियमन के आदेश हुए जिसकी राशि 693/— र.नं. 29/7763 से जमा होने पर चाह दर्ज किया गया"* का अंकन है। अतः जाहिर है कि उपखण्ड अधिकारी पिडावा द्वारा सरकारी भूमि ख.नं. 168 किस्म बंजड में से 0—01 बीघा भूमि पर बने चाह का आवंटन नियम 1979 के अधीन नियमन किया गया था। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा के नियमन/आवंटन आदेश दिनांक 08.12.2004 अनुसार उपखण्ड अधिकारी पिडावा द्वारा ग.मु. चाह ख.नं. 168 रकबा 0—01 बीघा पर अप्रार्थी भेरूलाल पिता घीसालाल जाति दांगी नि. सलोतिया द्वारा खोदे गये एवं कृषि भूमि की सिंचाई हेतु उपयोग में लिए जा रहे

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:39:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(3)

अतिक्रमित कुएं को 24/– प्रति वर्ष की लीज रेन्ट जमा कराने पर गैरखातेदार दर्ज करने के आदेश दिये गये थे जिसकी पालना में अप्रार्थी द्वारा राशि 693/– जरिये पी 36 क्रमांक 29/7763 से जमा करवाई गई।

7. राजस्थान भू-राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुएं खोदने एवं पम्प सेट स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन) नियम 1979 के नियम 7 के अनुसार इन नियमों के अधीन भूमि आवंटन/नियमन 8 शर्तो पर किया जाता है। नियम 7 की प्रथम शर्त (i) के अनुसार इस नियम के अधीन भूमि का आवंटन/नियमन लीज पर किया जावेगा और उक्त लीज 10 वर्ष या सिंचाई उद्देश्यों के लिए कुएं या पम्प सेट को उपयोग में लिए जाने का समयावधि में से – जो भी पहले हो– के लिए होगी। अतः उक्त दोनो शर्तो के अनुसार इन नियमों के अधीन भूमि अधिकतम 10 वर्षो के लिए लीज पर लिए जाने का प्रावधान है। उक्त प्रावधानो के अधीन आवंटित/नियमित भूमि को खातेदारी या गैरखातेदारी के रूप में दर्ज किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। उक्त 10 वर्षो की लीज को समाप्त होने पर प्रार्थी या लीजधारक द्वारा इसे सक्षम अधिकारी से अगले 10 वर्षो के लिए नवीनीकरण कराया जा सकता है। नियम 7 के प्रावधान/शर्ते निम्नानुसार है –

Rule 7. Conditions of allotment.- All allotment of land under these rules shall be subject to the following conditions (i) the land shall be given on Lease; (ii) One time lease money, equal to the price at the prevalent rates, recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, or the rates approved by the Inspector General of Stamps under sub-rule (1) or rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004, or the rates determined by the State Govemment under sub-rule (2) of rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004, Whichever is Higher, shall be charged. (iii) The lease shall be for a period of t[illegible] or for so long as the lessee uses the well or the pumping set for pur[illegible] of irrigation, whichever is less, renewable at the end of twenty years for further similar periods. The State Government may terminate the lease earlier

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:39:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

than the period of lease when considered necessary, after giving an opportunity of being heard to the lessee; (iv) the lessee shall have no right to sell, lease or sublet any portion of the land to any person or body of persons without the previous sanction of the Government; (v) the land shall be used only for the purpose for which it has been let out and for such allied purposes as are required for the lifting of water and its supply to the field to be irrigated; (vi) no permanent structure or buildings, except well and pump house shall be erected on the land without the previous sanction of the Government; (vii) The allottee shall have to dig the well or install a pumping set as the case may be within two years of the allotment; (viii) On failure to fulfil any of the terms and conditions of lease, the lease shall be liable to cancellation and the land shall be taken back by the Government and in the event of such resumption, the lessee shall not be entitled to any compensation for any structure etc. that he may have put up.

8. उपखण्ड अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा भूमि के आवंटन/नियमन के बाद उक्त आवंटन नियमों के नियम सं. 8 के अनुसार आवंटन या नियमन की तारीख से 15 दिन के अंदर Form No. A में जिला कलक्टर/तहसीलदार एवं लीजधारक के मध्य लीज डीड निष्पादित कराना आवश्यक था। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार उभयपक्ष के मध्य आज दिनांक तक ऐसी कोई लीज डीड निष्पादित नहीं होना जाहिर होता है और लीज डीड के अभाव में ऐसे आवंटन/नियमन का नामान्तरण या राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं किया जा सकता है। उक्त प्रकरण में पेरोकार सरकार द्वारा तत्कालीन तहसीलदार द्वारा वादग्रस्त आराजी को बिना लीज डीड के और लीज धारक दर्ज करने के बजाय नियम 7 के विरूद्ध टाईपिग त्रुटिवश गैरखातेदार दर्ज करना स्वीकार किया है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:39:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

(7)

9. हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा के आदेश दिनांक 08.12.2004 की सक्षम न्यायालय में अपील पेश करने का कोई उल्लेख नहीं किया है बल्कि राजस्व रिकार्ड में तत्कालीन तहसीलदार द्वारा आदेश का अमल दरामद करते समय आवंटी/अतिक्रमी को लीज धारक दर्ज नहीं करके गलत तरीके से गैरखातेदार दर्ज करने की प्रविष्टि को दुरूस्त कराने के लिए यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट पेश किया गया है। **धारा 136 एल.आर.एक्ट के अधीन राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के दौरान राजस्व कार्मिको द्वारा लिपीकीय/टाईपिग त्रुटी से दर्ज की गई अशुद्धि को दुरूस्त किये जाने के प्रावधान है।**

10. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम सलोतिया तहसील सुनेल की आराजी खसरा नं. 853/168 रकबा 0.0126 है. गैर मुमकिन चाह के संबंध में राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती का प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

–::क्रियात्मक आदेश::–

11. परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट बावत दुरस्ती इन्द्राज न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम सलोतिया तहसील सुनेल की आराजी खसरा नं. 853/168 रकबा 0.0126 है. गैर मुमकिन. चाह में प्रविष्टि को दुरूस्त कर गैर खातेदार के स्थान पर लीजधारक दर्ज की जावे। **लीज अवधि नियमानुसार नवीनीकरण नहीं कराये जाने पर तहसीलदार नियम 7 व 13 के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।** तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करे।

यह निर्णय आज दिनांक 11 .12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:39:08 IST
Reason: Self Attested

(दिनेश [illegible] मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज०
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner